उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-1/2016/13/2/1997-का-1-2016
लखनऊ :: दिनांक 17 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का प्रतिस्थापन 2. "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परिवीक्षा जहां आवश्यक हो	4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई	**परिवीक्षा जहां आवश्यक हो** 4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई

जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद

जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**		**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है,	**परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो**	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया है, जहां

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।	भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है।

आज्ञा से,

राजीव कुमार

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2/1997-ka-1-2016, dated February 17, 2016:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-1
NOTIFICATION

Miscellaneous

No.1/2016/13/2/1997-ka-1-2016
Dated Lucknow, February 17, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS PROBATION (FIRST AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement **1.** (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Probation (First Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4 **2.** In the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 Existing rule		COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Probation where necessary	**4.(1)**A person on substantive appointment to a post through direct recruitment shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted : Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall	**Probation where necessary**	**4.(1)**A person on substantive appointment to a post through direct recruitment shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted : Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(2) A person on substantive appointment to a post by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) A person appointed on a post by adjustment, absorption or merger in accordance with the procedure prescribed in the relevant service rules, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save

not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(2) A person on substantive appointment to a post by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) A person appointed on a post by adjustment, absorption or merger in accordance with the procedure prescribed in the relevant service rules, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.	in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.
		(4) A person on substantive appointment to a post where promotion is the only source of recruitment, if the post belongs to a different Service or Group, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted : Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.	
Substitution of rule 5	**3.**	In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-	
		COLUMN-1 Existing rule	**COLUMN-2** Rule as hereby substituted
Probation where not necessary		**5.** It will not be necessary to place a person on probation if he is promoted on a regular basis after following the prescribed procedure to a post	**Probation where not necessary** **5.** It will not be necessary to place a person on probation if he is promoted to a post where promotion is the only source of

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	belonging to same Group where promotion is the only source of recruitment.	recruitment.

By order,
RAJIV KUMAR
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।